FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

भोंरी देवी बनाम पदम वगै.

किस्म मुकदमा—नामा. अपील सं0 12/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.2023	प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार होने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। अपीलांट भोरी देवी की ओर से श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता द्वारा पावर पेश की गई। रेस्पों. सं0 1 पदम की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता द्वारा पावर पेश की गई। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि प्रकरण में अपीलांट भोंरी देवी व रेस्पों. सं0 1 पदम के मध्य आपसी सहमति व स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अपीलांट व रेस्पों. सं. 1 के विरूद्व की गई अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा उक्त अपील में अपीलांट किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अपीलांट भोंरी देवी जो रेस्पों. सं. 1 की रिश्ते में बुआ है तथा दोनों पक्षो में आपसी सहमति से घर बैठकर राजीनामा कर लिया है तथा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। उक्त उनवानी अपील को उक्त राजीनामें के माध्यम से आज ही खारिज कर दिया जावे तो अपीलांट को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः उनवानी अपील को राजीनामे के आधार पर खारिज किये जाने के आदेश फरमावें। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पों0 सं0 1 के लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और वे प्रस्तुत अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अपील खारिज किये जाने में राजकीय अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। अपीलांट व रेस्पों. सं. 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और वे अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official